

10089



पट्टा विलेख (Lease Deed

क्रमांक / 164

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 26-8-2019 को स्थान देहरादून में श्री प्रताप सिंह कोटाल पुत्र स्व. श्री तुलसी सिंह कोटाल, निवासी- गट्टागाँव, पी. बालोंगंज, मसूरी, जिला- देहरादून, (ID- ~~7985789/6618~~) जिनको इस विलेख में पट्टादाता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा इस शब्द में सन्दर्भानुसार जहां- जहां आवश्यक, अपेक्षित व स्वीकार्य हो, इसमें इनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, स्थानापन्नो, अन्तरितियों व समानुद्देशियों का समावेश है व सदैव समझा जायेगा।

पट्टादाता

ने श्री मोहन सिंह थापली पुत्र स्व. श्री राय सिंह थापली, निवासी- गट्टागाँव, पोस्ट-आफिस-बालोंगंज, मसूरी, जिला-देहरादून, (ID- ~~9053262516211~~) जिनको इस विलेख में पट्टाग्रहिता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा इस शब्द में सन्दर्भानुसार जहां- जहां आवश्यक, अपेक्षित व स्वीकार्य हो, इसमें इनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, स्थानापन्नो, अन्तरितियों व समानुद्देशियों का समावेश है व सदैव समझा जायेगा। के पक्ष में अंकित हस्ताक्षरित व विधायित्व किया गया।

पट्टाग्रहिता

के पक्ष में स्थान देहरादून में सम्पादित एवं अंकित किया गया।

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| लीज रेन्ट | - | रु. 1000 /- रु. प्रतिमाह |
| पट्टा अवधि | - | 29 वर्ष |
| कुल स्टाम्प देय | - | 1500 /- रुपये। |
| ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या- | - | IN-UK |

विवरण लेख पत्र में दिया गया है।

Mohana



Online Public Data Entry Summary



DISTRICT NAME : देहरादून SRO : देहरादून

सर्वसाधारण शासन

UKPDE2019045126950

26-Aug-2019

5:24:31 PM

Appointment Date: Appointment Time: Appointment Token No:

Deed/Article Type : Lease **10089**

Sub-Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index : कुठाल गेट से मसूरी तक मुख्य मार्ग (शेणी J)

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : कुठाल गेट से मसूरी तक मुख्य मार्ग (शेणी J)

Khevat : 0 Khatoni : 0

Khasra : 3182

House/Flat No: 0

Area : 99.90 वर्ग मीटर

Latitude Longitude : 0.0000000000

Land Value : 0.00 Construction Value : 0.00

Transaction Value : 0.00 Market Value : 0.00

Advance : 0.00 Lease Period : 0.00 Avg. Rent : 0.00

Stamp Duty : 1,500.00 Regn Fees : 750.00

Words : 1,000 Page : 24

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

| क्र.सं | निर्माण का प्रकार | रकम |
|--------|-------------------|-----|
|--------|-------------------|-----|

आवासीय निर्माण का विवरण

| क्र.सं | निर्माण क्षेत्र | निर्माण का प्रकार | निर्माण तल | द्वारा वर्ग | रकम |
|--------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-----|
|--------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-----|

निबंधक शुल्क का विवरण

| क्र.सं | भुगतान की विधि | घनराशि | संदर्भ क्रमांक |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 1 | Cash | 750.00 | 0 |

स्टाम्प शुल्क का विवरण

| क्र.सं | भुगतान की विधि | घनराशि | संदर्भ क्रमांक | जारी दिनांक | स्टाम्प विवेकता नं./सी |
|--------|----------------|----------|----------------|-------------|------------------------|
| 1 | e-Stamp | 1,500.00 | 0 | 26-Aug-2019 | 0 |





2

Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

पक्षकारों का विवरण

| प्रकार | पक्षकार का विवरण | हस्ताक्षर | व्यवसाय | पैन नं | मोबाइल नं | पहचान पत्र संख्या |
|--------------|---|---|---------|--------|-----------|----------------------------|
| प्रथम पक्ष | श्री प्रताप सिंह कोटाल पुत्र श्री तुलसी सिंह कोटाल निवासी भट्टा गांव, पोस्ट बालोंगंज, मसूरी देहरादून |  | OTHERS | | 0 | ADHAAR : 9985 7891 6670 |
| द्वितीय पक्ष | श्री मोहन सिंह थापली पुत्र श्री राय सिंह थापली निवासी भट्टा गांव, पोस्ट बालोंगंज, मसूरी देहरादून |  | OTHERS | | 0 | ADHAAR : 9053 2625 1678 |
| | श्री आलोक गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल निवासी मसूरी, देहरादून |  | OTHERS | | 0 | ADHAAR : 2217 0390 2520 |
| | श्री दीपक सिंह थापली पुत्र श्री जगदीश थापली निवासी भट्टा गांव, पोस्ट बालोंगंज, मसूरी देहरादून |  | OTHERS | | 0 | ADHAAR : 7032 2044 4009 |

Deed Writer /Advocate Name :Mahadev Lekhwar

10089



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

| | |
|---------------------------|--|
| Certificate No. | : IN-UK32164256660328R |
| Certificate Issued Date | : 26-Aug-2019 02:00 PM |
| Account Reference | : NONACC (SV)/ uk1240504/ MUSSORIE/ UK-DH |
| Unique Doc. Reference | : SUBIN-UKUK124050466492796040651R |
| Purchased by | : MOHAN SINGH THAPLI SON OF SH RAI SINGH |
| Description of Document | : Article 35 Lease |
| Property Description | : MAUJA KYARKULI BHATTA MUSSOORIE ROAD, DEHRADUN |
| Consideration Price (Rs.) | : 72,000 (Seventy Two Thousand only) |
| First Party | : PRATAP SINGH KOTAL SON OF SH TULSI SINGH |
| Second Party | : MOHAN SINGH THAPLI SON OF SH RAI SINGH |
| Stamp Duty Paid By | : MOHAN SINGH THAPLI SON OF SH RAI SINGH |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : 1,500 (One Thousand Five Hundred only) |



अमित कुमार
लोकसेवा केंद्र 173
मोहं कायासुख, हरद्वार

.....Please write or type below this line.....



Mohan Singh

0008355594

पट्टा विलेख (Lease Deed)

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 26-8-2019 को स्थान देहरादून में श्री प्रताप सिंह कोटाल पुत्र स्व. श्री तुलसी सिंह कोटाल, निवासी- भट्टागोंव, पो. बालोंगंज, मसूरी, जिला- देहरादून, (PAN- -----) जिन्हें इस विलेख में पट्टादाता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा इस शब्द को सन्दर्भानुसार जहां- जहां आवश्यक, अपेक्षित व स्वीकार्य हो, इसमें इनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, स्थानापन्नो, अन्तरितियों व समनुद्देशियों का समावेश है व सदैव समझा जायेगा।

पट्टादाता

ने श्री मोहन सिंह थापली पुत्र स्व. श्री राय सिंह थापली, निवासी- भट्टागोंव, पोस्ट-आफिस-बालोंगंज, मसूरी, जिला-देहरादून, जिनको इस विलेख में पट्टागृहिता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा इस शब्द में सन्दर्भानुसार जहां- जहां आवश्यक, अपेक्षित व स्वीकार्य हो, इसमें इनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, स्थानापन्नो, अन्तरितियों व समानुद्देशियों का समावेश है व सदैव समझा जायेगा। के पक्ष में अंकित हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया।

पट्टागृहिता

के पक्ष में स्थान देहरादून में सम्पादित एवं निष्पादित किया गया।

विदित हो कि पट्टादाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का स्वामी काबिज एवं अध्यासित है, पट्टादाता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी दर्ज चला आ रहा है।

यह कि पट्टादाता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति व उपरोक्त विलेख में वर्णित सम्पत्ति में पवित्र है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है।

2

Mohan Singh

6

सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। पट्टादाता का स्वाभित्त्व व अध्यासन स्वच्छ है। पट्टादाता को निम्न सम्पत्ति हर प्रकार से पट्टे पर देने का पूर्ण अधिकार मालिकाना प्राप्त है।

विदित हो कि पट्टादाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को 29 वर्ष की अवधि के लिए पट्टागृहिता को किराये पर देना चाहता है तथा पट्टागृहिता भी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को उक्त समयावधि के लिए किराये पर लेने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अतः पक्षकारों के मध्य विलेख अंकित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाता है जो निम्न प्रकार साक्ष्यांकित है :-

1:- यह कि पक्षकारों की परस्पर सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टादाता ने 29 वर्ष के लिए पट्टागृहिता को पट्टे पर दे दिया है एवं पट्टागृहिता ने सम्पत्ति के पट्टे को स्वीकार कर लिया है। पक्षकारों के मध्य इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का किराया अंकन 1000/-रु. प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

2:- यह कि पट्टागृहिता द्वारा अग्रिम एक वर्ष का किराया अंकन 12000/- रुपये की धनराशि पट्टादाता को अदा कर दी गयी है जिसकी प्राप्ति पट्टादाता स्वीकार करता है।

3:- यह कि पट्टादाता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति उपरोक्तानुसार निर्धारित किराये की दर से 29 वर्ष के लिए पट्टागृहिता को पट्टा विलेख के माध्यम से पट्टे पर सौंप दी गई है।

4:- यह कि पट्टादाता द्वारा इव विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक एवं रिक्त अध्यासन पट्टागृहिता को मौके पर अपने समान व अपने सामने सौंप दिया है तथा अपना कब्जा हटा लिया गया है। पट्टागृहिता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का पट्टाधारक हो गया है।

5:- यह कि पट्टागृहिता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये, परिवर्तन करें, परिवर्धन करें, नव निर्मित करें, निर्माण को शमन कराये तथा सूची में वर्णित सम्पत्ति पर निर्माण आदि करें, इसमें पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6:- यह कि पट्टागृहिता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत संयोजन, जल संयोजन, टेलीफोन संयोजन ले जिसमें

Moham ...

सम्पत्ति स्पष्ट स्वागित्त्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार अधिभार तथा कर्ज नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। पट्टादाता का स्वागित्त्व स्पष्ट तथा अध्यासन स्वच्छ है। पट्टादाता को निम्न सम्पत्ति हर प्रकार से पट्टे पर देने के पूर्ण अधिकार मालिकाना प्राप्त है।

विदित हो कि पट्टादाता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को 29 वर्ष की अवधि के लिए पट्टागृहिता को किराये पर देना चाहता है तथा पट्टागृहिता भी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को उक्त सगयाविधि के लिए किराये पर लेने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अतः पक्षकारों के मध्य विलेख अंकित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाता है जो निम्न प्रकार साक्ष्यांकित है :-

1:- यह कि पक्षकारों की परस्पर सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टादाता ने 29 वर्ष के लिए पट्टागृहिता को पट्टे पर दे दिया है एवं पट्टागृहिता ने सम्पत्ति के पट्टे को स्वीकार कर लिया है। पक्षकारों के मध्य इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का किराया अंकन 1000/-रु. प्रतिगाह निर्धारित किया गया है।

2:- यह कि पट्टागृहिता द्वारा अग्रिम एक वर्ष का किराया अंकन 12000/-रुपये की धनराशि पट्टादाता को अदा कर दी गयी है जिसकी प्राप्ति पट्टादाता स्वीकार करता है।

3:- यह कि पट्टादाता द्वारा अपनी स्वतन्त्र इच्छा व सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति उपरोक्तानुसार निर्धारित किराये की दर से 29 वर्ष के लिए पट्टागृहिता को पट्टा विलेख के माध्यम से पट्टे पर सौंप दी गई है।

4:- यह कि पट्टादाता द्वारा इव विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक एवं रिक्त अध्यासन पट्टागृहिता को मौके पर अपने समान व अपने सामने सौंप दिया है तथा अपना कब्जा हटा लिया गया है। पट्टागृहिता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का पट्टाधारक हो गया है।

5:- यह कि पट्टागृहिता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये, परितर्वन करें, परिवर्धन करें, नव निर्मित करें, निर्माण को शमन कराये तथा सूची में वर्णित सम्पत्ति पर निर्माण आदि करें, इसमें पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6:- यह कि पट्टागृहिता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित सम्पत्ति पर अपने नाम से विद्युत संयोजन, जल संयोजन, टेलीफोन संयोजन ले जिसमें

Moham... ..

पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उपरोक्त संयोजन पट्टागृहिता बिना पट्टादाता की अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7:- यह कि पट्टागृहिता का लीज पर ली गई सम्पत्ति पर सम्पूर्ण विधिक अधिकार होगा जिसमें पट्टादाता को किसी प्रकार से उजल-दखल एवं आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

8:- यह कि पट्टागृहिता निम्न वर्णित सम्पत्ति में कोई भी विधि विरुद्ध व अनैतिक कार्य नहीं करेगा।

9:- यह कि लीज पर ली गई उपरोक्त सम्पत्ति नॉन-जेड-ए सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पर उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 लागू नहीं है।

10:- यह कि पट्टागृहिता निम्न वर्णित सम्पत्ति में कोई भी अन्य भागीदार शिकमी किरायेदार अथवा किसी भी अन्य तृतीय पक्ष को निम्न वर्णित सम्पत्ति का अध्यासन नहीं देगा।

11:- यह कि निम्न वर्णित सम्पत्ति को पट्टागृहिता राजस्व अभिलेखों में बतौर अध्यासी/पट्टागृहिता दर्ज कराये जिसमें पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं है और न होगी।

12:- यह कि वर्तमान पट्टा विलेख में 29 वर्ष की समयावधि निर्धारित हुई है जिसमें एक वर्ष का औसत किराया अंकन 12000/- रु. है इस प्रकार 6 वर्ष का औसत किराया 72,000/- रु. निर्धारित होता है जिस पर नियमानुसार दो प्रतिशत की दर से अंकन 1500/- रु. का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। तथा लीज की अवधि 29 वर्ष है तथा लीज दिनांक 1-01-2019 से लागू हो गई है।

13:- यह कि प्रस्तुत पट्टेनामों का निष्पादन व पंजीकरण का कुल व्यय पट्टागृहिता द्वारा वहन किया गया है।

14:- यह कि इस पट्टा विलेख में शब्द पट्टादाता व पट्टागृहिता में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि आदि समान रूप से सम्मिलित समझे जायेंगे।

15:- यह कि सूची में वर्णित लीज पर ली गई सम्पत्ति या भूमि का श्री रघुप्रताप सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह निवासी- स्योहारा, बिजनौर, उ.प्र. से कभी कोई सम्बंध नहीं रहा है जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति के लीज/हस्तान्तरण पर जिलाधिकारी

देहरादून के आदेश सं.40/वै0अ0/2016 दिनांक जनवरी 23, 2916 से अच्छादित नहीं है।

विवरण सम्पत्ति

वह समस्त सम्पत्ति भूमि जो कि मुख्य मसूरी रोड पर कुठालगेट व मसूरी के बीच में खसरा नं. 3182 मौजा- क्यारकुली-भट्टा का भाग है जिसका भूमि का क्षेत्रफल 99.90 वर्गमीटर एवं कवर्ड ऐरिया 223.04 वर्गमीटर है तथा जिसकी सीमायें निम्नवत् है :-

पूरब में - मुख्य मसूरी-देहरादून मार्ग।

पश्चिम में - भूमि अन्य।

उत्तर में - भूमि अन्य।

दक्षिण में - भूमि अन्य



पट्टादाता



पट्टागृहिता

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस
पट्टादाता / भवनस्वामी का नाम एवं पता :-


श्री प्रताप सिंह कोटाल पुत्र स्व. श्री तुलसी सिंह कोटाल, निवासी- भट्टागॉव,
पो. बालो गंज, मसूरी, जिला- देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

| कनिष्ठिका | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अगुष्ठ |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | |

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | | |


श्री प्रताप सिंह कोटाल

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस
पट्टाग्रहिता / किरायेदार का नाम एवं पता :-

श्री मोहन सिंह थापली पुत्र स्व. श्री राय सिंह थापली, निवासी- भट्टागॉव,
पोस्ट-आफिस-बालो गंज, मसूरी, जिला-देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

| कनिष्ठिका | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अगुष्ठ |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | |

6



Mohan Singh Thapli


दायें हाथ(Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह:-

| अगुष्ठ | तर्जनी | मध्यमा | अनामिका | कनिष्ठिका |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | | |

Mohana Singh
श्री मोहन सिंह थापली

गवाहान:-

1:-



① डा. कृष्ण गोमल पुत्रा जी प्रदीप गोमल
R/O हाउस नं० २३५/२३४ लडौर बाजार, मसूरी, देहरादून
(उत्तराखण्ड) आधार नं० २२१७०३९०२५२०

2:-



② दीपक सिंह थापली पुत्रा जी जगदीश थापली
R/O अट्टा गांव, बालीगंज, मसूरी रेंज, देहरादून (उत्तराखण्ड)
आधार नं० ७०३२२०४५५००९

पट्टादाता तथा पट्टाग्रहिता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर रचित ।

श्री महादेव लेखवार ऐडवोकेट मसूरी।




पट्टादाता

Mohana Singh
पट्टाग्रहिता

बही संख्या 1 जिल्द 3,179 के पृष्ठ 181 से 204 पर क्रमांक 10089

पर आज दिनांक 26 Aug 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय
26 Aug 2019

